इस्लामी मालूमात

भाग-3

मैलाना हाफ़िज़ बदरूद्दीन (एम० ए०)

इस्लामी मालूमात

भाग-3

मैलाना हाफ़िज़ बदरूद्दीन (एम० ए०)

www.idaraimpex.com

इस्लामी मालूमात (भाग-3)

लेखकः मौलाना हाफ़िज बदरूद्दीन (एम. ए.)

अनुवादकः अहमद नदीम नदवी

प्रकाशन : 2013

ISBN 81-7101-551-4

TP-177-13

Published by Mohammad Yunus for

IDARA IMPEX

D-80, Abul Fazal Enclave-I, Jamia Nagar
New Delhi-110 025 (India)
Tel.: 2695 6832 Fax: +91-11-6617 3545
Email: **sales@idaraimpex.com**
Visit us at: **www.idarastore.com**

Designed & Printed in India

Typesetted at: **DTP Division**
IDARA ISHA'AT-E-DINIYAT
P.O. Box 9795, Jamia Nagar, New Delhi-110025 (India)

विषय-सूची

विषय पृष्ठ

इस्लामी मालूमात

तीसरा भाग

पढ़ने-पढ़ाने वालों की ख़िदमत में

अलहम्दु लिल्लाह, इस्लामी मालूमात का तीसरा हिस्सा मुकम्मल हो गया है। और अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से उम्मीद है कि पिछले दो हिस्सों की तरह इसे भी पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग पसन्द फ़रमाएंगे।

इस हिस्से में नमाज़ के लगभग वे तमाम मस्‌अले जमा कर दिए गए हैं जो पांचवीं जमाअत के बच्चों की समझ में आ सकते हैं और आसानी से याद किए जा सकते हैं।

इसके अलावा जिन तफ़्सीली मस्‌अलों का ज़िक्र नहीं है, वे बड़े होकर ज़रूरत पड़ने पर बड़ी किताबों में देखे जा सकते हैं, निसाब की किताबों में इसकी गुंजाइश नहीं होती।

इस हिस्से में भी हमने कोशिश की है कि मस्‌अले सवाल व जवाब के नए तरीक़े से लिखी हुई शक्ल में बच्चों को याद हों। उम्मीद है कि अच्छे उस्ताद और प्यारे बच्चे लिखने के काम की तरफ़ ख़ास तवज्जोह देंगे।

इस सिलसिले का चौथा हिस्सा भी इनशाअल्लाह जल्द ही छप जाएगा, उसमें रोज़ा, ज़कात और हज के ज़रूरी हिस्से मुकम्मल होंगे।

इस तरह उम्मीद है कि प्राइमरी मदरसों के बच्चों-बच्चियों के लिए अक़ीदों और मस्अलों का यह निसाब मुकम्मल हो जाएगा।

अल्लाह हम तमाम लिखने-पढ़ने और पढ़ाने वालों की कोशिशों को क़ुबूल फ़रमाए और अपने सच्चे दीन का मुख़्लिस ख़ादिम बनाए। आमीन

वस्सलाम

बदरुद्दीन

6 अप्रैल 1969

नमाज़ शुरू करने से पहले ज़रूरी है

1. नमाज़ी के कपड़ों का पाक होना,

2. नमाज़ी के बदन का हर क़िस्म की छोटी-बड़ी नापाकी से पाक होना,

3. जिस जगह नमाज़ पढ़ी जाए, उस जगह का पाक होना,

4. क़िबले की तरफ़ मुंह करना,

5. जिस्म का छिपा होना, नमाज़ की हालत में मर्दों को नाफ़ से घुटने के नीचे तक छिपाना फ़र्ज़ है,

6. नमाज़ की नीयत करना यानी नमाज़ पढ़ने का दिल में इरादा होना,

7. नमाज़ का वक़्त आना,

इन सात बातों को नमाज़ की शर्तें कहते हैं। अगर इनमें से किसी एक बात का ख़्याल न रखा जाए, तो नमाज़ नहीं होगी।

अमली काम

नमाज़ की शर्तों को पहले अच्छी तरह ज़ेहन में बिठा लीजिए, फिर नीचे लिखे हुए मस्अले अपनी कापी में इस नक़्शे के मुताबिक़ उतारिए और हर सवाल के सामने जायज़ या नाजायज़ के खाने में (✓) टिक मार्क लगाइए।

क्र.सं.	सवाल	नमाज़ हो जाएगी	नमाज़ नहीं होगी
1.	अगर किसी मर्द ने नंगे सर नमाज़ पढ़ ली तो?		
2.	अगर किसी औरत ने बग़ैर सर ढके नमाज़ पढ़ी तो?		
3.	किसी मर्द ने नेकर पहन कर नमाज़ पढ़ी तो?		
4.	किसी औरत ने स्कर्ट पहन कर नमाज नढ़ी तो?		
5.	किसी मर्द ने आधी आस्तीन की क़मीज़ में नमाज़ पढ़ी तो?		

नमाज़ के अन्दर ज़रूरी है

1. तक्बीरे तहरीमा :– अल्लाहु अक्बर कहते हुए दोनों हाथ कानों की लौ तक उठाकर नाफ़ के नीचे हाथ बांधना,

जिस तक्बीर से नमाज़ शुरू होनी है, उसको तक्बीरे तहरीमा कहते हैं।

2. क़ियाम :– खड़ा होना, फ़र्ज़ और वाजिब नमाज़ों में इतनी देर खड़ा होना फ़र्ज़ है, जिसमें एक बड़ी आयत या तीन छोटी आयतें पढ़ी जा सकें।

अगर कोई बीमारी या मजबूरी की वजह से बैठकर नमाज़ पढ़ता है, तो उसका बैठना खड़े होने का क़ायम मक़ाम है।

नफ़्ल नमाज़ बग़ैर किसी मजबूरी के भी बैठकर पढ़ी जा सकती है, लेकिन बे-उज़्र बैठकर पढ़ने में आधा सवाब मिलता है।

3. क़िरात :– क़ुरआन मजीद पढ़ने को क़िरात कहते हैं, कम से कम एक आयत का पढ़ना फ़र्ज़ है और अलहम्दु पढ़ना वाजिब है। फ़र्ज़ नमाज़ की पहली दो रकूअतों में अलहम्दु के बाद कोई एक बड़ी या तीन छोटी आयतें पढ़ना वाजिब है।

तीन रकूअत (मग़्रिब) की फ़र्ज़ नमाज़ की तीसरी और चार रकूअत वाली फ़र्ज़ नमाज़ की तीसरी-चौथी रकूअत के अलावा हर नमाज़ की हर रकूअत में सूरः फ़ातिहा (अलहम्दु) के बाद एक बड़ी आयत या छोटी तीन आयतें पढ़ना वाजिब है।

जहरी और सिर्री नमाज़ें

मग़रिब और इशा की पहली दो रक्अतों में फ़ज्र, जुमा, दोनों ईद, तरावीह और रमज़ान के मुबारक महीने में वित्र की नमाज़ों में इमाम को ज़ोर से क़िरात करनी चाहिए। इन नमाज़ों को जहरी नमाज़ें कहते हैं। जुहर और अस्र में इमाम और मुंफ़रिद सबको धीरे से क़िरात करनी चाहिए। इन नमाज़ों को सिर्री नमाज़ें कहते हैं।

4. रुकूअ करना :– दोनों हाथों से घुटनों को पकड़कर इतना झुकना कि सर और कमर बराबर हो जाए और हाथ पसलियों से अलग रहें, इसे रुकूअ कहते हैं।

5. सज्दा :– ज़मीन पर पेशानी (माथा) रखने को सज्दा कहते हैं। हर रक्अत में दो सज्दे फ़र्ज़ हैं।

सज्दे में नाक और पेशानी दोनों को ज़मीन पर रखना चाहिए। अगर बग़ैर किसी मजबूरी के सिर्फ़ पेशानी पर सज्दा किया तो मक्रूह होगा और किसी मजबूरी के बग़ैर सिर्फ़ नाक पर सज्दा किया तो अदा ही नहीं होगा।

6. आख़िरी क़ादा :– जितनी देर में अत्तहीयात 'अब्दुहू व रसूलुह' तक पढ़ी जाए, उतनी देर बैठना फ़र्ज़ है। इन तमाम बातों को नमाज़ के 'अरकान' कहते हैं, अरकान रुक्न की जमा (बहुवचन) है, रुक्न के मानी फ़र्ज़ के हैं।

इन अरकान में से अगर एक रुक्न भी छूट जाए, तो नमाज़ नहीं होती।

अमली काम

पहले नमाज़ के अरकान को अच्छी तरह ज़ेहन में बिठा लीजिए, फिर नीचे लिखे हुए मसुअले अपनी कापी में इस नक़्शे के मुताबिक़ उतारिए और हर सवाल के सामने उसके सही जवाब पर (✓) लगा दीजिए।

क्र.सं. सवाल	नमाज़ हो जाएगी	नमाज़ नहीं होगी	नमाज़ मकरूह होगी
1. अगर किसी ने नमाज़ में सना "सुब्हा-न-कल्लाहुम-म नहीं पढ़ी, तो?			
2. किसी ने फ़र्ज़ की तीसरी रक्अत में सूरः फ़ातिहा के बाद कोई आयत नहीं पढ़ी, तो?			
3. किसी ने तरावीह की दूसरी रक्अत में अलहम्दु के बाद सूरः नहीं पढ़ी?			
4. किसी ने नमाज़ में एक सज्दा किया तो?			
5. किसी ने बग़ैर किसी मजबूरी के सिर्फ़ पेशानी पर सज्दा किया तो?			
6. किसी ने बग़ैर किसी मजबूरी के सिर्फ़ नाक पर सज्दा किया तो?			

नमाज़ का सवाब कम हो जाएगा

अगर नमाज़ की हालत में नीचे लिखी हुई बातों में से कोई एक बात भी पेश आ जाए—

इन बातों को मक्रूहात कहते हैं—

1. कोई ऐसा बड़ा कपड़ा पहनकर नमाज़ पढ़ी जो कंधों पर लटका हुआ हो, जैसे बड़ी चादर के दोनों कोने कंधों पर लटके हों या अचकन, चोग़ा, ब्राउन कोट बग़ैर आस्तीन हाथों पर डाले, कंधों पर लटका लिया जाए, नमाज़ मक्रूह होगी।

2. कपड़ों को मिट्टी से बचाने या स्त्री (प्रेस) ठीक रखने के लिए हाथ से रोकना या समेटना मक्रूह है।

3. मामूली कपड़ों में नमाज़ पढ़ना।

4. मुंह में कोई सिक्का या ऐसी चीज़ रखकर नमाज़ पढ़ना जिसकी वजह से क़िरात में मजबूरी न हो, नमाज़ मक्रूह होगी और अगर क़िरात पढ़ने में मजबूरी होती हो, तो बिल्कुल नमाज़ दुरुस्त न होगी।

5. सुस्ती और लापरवाही की वजह से नंगे सर नमाज़ पढ़ना।

6. पाख़ना-पेशाब की हाजत होने की हालत में नमाज़ पढ़ना।

7. बालों को सर पर जमा करके जूड़ा बनाना।

8. कंकरियों को हटाना, लेकिन अगर सज्दा करना मुश्किल होता हो, तो एक बार हटाने में कोई हरज नहीं।

9. उंगलियां चटख़ाना या एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में

डालना।

10. कमर या कूल्हे पर हाथ डालना।

11. क़िबले की तरफ़ से मुंह फेर कर या सिर्फ़ निगाह से इधर-उधर देखना।

12. रानें खड़ी करके बैठना और रानों को पैर से और घुटनों को सीने से मिला लेना और हाथों को ज़मीन पर रख लेना।

13. सज्दे में दोनों कलाइयों का ज़मीन पर बिछा लेना मर्द के लिए मक्रूह है।

14. किसी ऐसे आदमी की तरफ़ नमाज़ पढ़ना जो नमाज़ी की तरफ़ मुंह किए हुए बैठा हो।

15. हाथ या सर के इशारे से सलाम का जवाब देना।

16. इमाम का मेहराब के अन्दर खड़ा होना, लेकिन एड़ियां मेहराब से बाहर हों तो कोई हरज नहीं।

17. बग़ैर किसी मजबूरी के चार ज़ानू बैठना।

18. जान कर जम्हाई लेना या रोक सकने की हालत में न रोकना।

19. आंख को बन्द करना मक्रूह है, लेकिन अगर नमाज़ में दिल लगाने के लिए बन्द करे तो कोई हरज नहीं, लेकिन आंखें खोल कर नमाज़ पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए।

20. अकेले इमाम का एक हाथ ऊंची जगह खड़ा होना मक्रूह है अगर इमाम के साथ कुछ मुक़्तदी भी हों तो मक्रूह नहीं।

21. ऐसी सफ़ के पीछे अकेले खड़ा होना जिसमें जगह ख़ाली

हो।

22. किसी जानदार की तस्वीरों वाले कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ना।

23. आयतें, सूरतें या तस्बीहें नमाज़ की हालत में गिनना।

24. अमामा के पेच पर या टोपी के किनारे पर सज्दा करना।

25. नमाज़ में अंगड़ाई लेना या सुस्ती उतारना।

ये तमाम बातें नमाज़ में मक्रूह हैं, उनसे सवाब में कमी आ जाती है।

अमली काम

नमाज़ को मक्रूह करने वाली तमाम बातों को जुबानी याद कीजिए।

नमाज़ टूट जाएगी

1. अगर नमाज़ की हालत में जानकर या भूलकर, कम या ज़्यादा बात कर ली।

2. नमाज़ की हालत में किसी ने ख़ुद सलाम किया या किसी के सलाम का जवाब दिया, छींकने वाले को 'यर्हमुकल्लाह' कहा।

3. नमाज़ की हालत में कोई ख़बर सुनकर 'इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन' पढ़ा, या अच्छी ख़बर सुनकर सुब्हानल्लाह कहा।

4. नमाज़ की हालत मे किसी ने दर्द या तक्लीफ़ की वजह से आह, उफ़ या कोई ऐसी आवाज़ निकाली जो लफ़्ज़ों में ज़ाहिर न हो,

5. अपने इमाम के अलावा किसी बाहर के पढ़ने वाले को ग़लती बता दी।

6. नमाज़ में देखकर क़ुरआन शरीफ़ पढ़ना।

7. नमाज़ की हालत में क़ुरआन शरीफ़ पढ़ने में कोई बड़ी ग़लती कर ली।

8. नमाज़ की हालत में कोई ऐसी हरकत की, जिससे देखने वाले यह समझें कि यह आदमी नमाज़ नहीं पढ़ रहा है।

9. नमाज़ की हालत में जानकर या भूलकर कोई चीज़ खा-ली या पी-ली।

10. दो सफ़ों की मिक़्दार अपनी जगह से हट गई।

11. बग़ैर किसी मजबूरी के क़िबले की तरफ़ से सीना फेर लिया।

12. नापाक जगह पर सज्दा करना।

13. सतर खुल जाने की हालत में एक रुक्न की मिक़्दार ठहरा रहना।

14. नमाज़ के अन्दर दुआ में कोई ऐसी चीज़ मांगी जो आदमियों से मांगी जाए।

15. नमाज़ में बालिग़ आदमी क़हक़हा मारकर या आवाज़ से हंस दिया।

16. कोई नमाज़ में इमाम से आगे बढ़ गया।

इन तमाम बातों को नमाज़ के मुफ़्सिदात (बिगाड़ पैदा करने वाली) कहते हैं, इनमें से कोई एक बात भी नमाज़ में पेश आ जाए तो नमाज़ टूट जाएगी और नमाज़ का दोबारा पढ़ना ज़रूरी होगा।

अमली काम

नमाज़ को तोड़ने वाली तमाम बातों को जुबानी याद कीजिए।

नमाज़ छूट गई– अब क्या करें?

जब याद आए या सोते से आंख खुले, अदा कर लो, बस इतना ख़्याल रखना चाहिए कि मक्रूह वक़्त न हो।

अदा और क़ज़ा

अगर असल मुक़र्रर वक़्त में नमाज़ पढ़ी जाए, तो उसे अदा कहते हैं, मुक़र्रर वक़्त गुज़र जाने के बाद फ़र्ज़ या वाजिब नमाज़ पढ़ने को क़ज़ा कहते हैं।

बग़ैर किसी मजबूरी के जानकर किसी फ़र्ज़ या वाजिब या ताकीदी सुन्नत वाली नमाज़ को वक़्त पर अदा न करना गुनाह है। अगर सोते रह गए या भूल गए और नमाज़ क़ज़ा हो गई तो गुनाह नहीं।

क़ज़ा नमाज़ की नीयत

जिस दिन और जिस वक़्त की नमाज़ पढ़नी है, उस का ज़िक्र नीयत में होना चाहिए, सिर्फ़ वक़्त का नाम काफ़ी नहीं है। अगर किसी की बहुत-सी नमाज़ें छूट गई हों और सही दिन या महीना याद न हो तो अन्दाज़े से क़ज़ा पढ़ना चाहिए।

जैसे नीयत में कहे, मैं सबसे पहले फ़ज्र की फ़र्ज़ क़ज़ा पढ़ता हूं, या दूसरी-तीसरी क़ज़ा पढ़ता हूं। इसी तरह जो नमाज़ क़ज़ा पढ़े, उसकी नीयत उसी तरीक़े से करनी चाहिए।

क़ज़ा नमाज़ घर में पढ़ना बेहतर है, वैसे मस्जिद में भी पढ़ लें तो कोई हरज नहीं, मगर अपनी क़ज़ा नमाज़ का दूसरे से ज़िक्र करना मक्रूह है।

फ़ज्र की सुन्नतें

फ़ज्र के फ़र्ज़ों से पहले की दो सुन्नतें मुअक्कदा हैं। अगर ये फ़र्ज़ों के साथ क़ज़ा हो जाएं तो उसी दिन के ज़वाल से पहले फ़र्ज़ों के साथ क़ज़ा पढ़ लेना चाहिए और ज़वाल के बाद पढ़ें तो सिर्फ़ फ़र्ज़ों की क़ज़ा करें। अगर सिर्फ़ फ़ज्र की सुन्नतें छूट गई हों तो उसका क़ज़ा करना ज़रूरी नहीं है। अगर किसी ने सूरज निकलने के बाद पढ़ ली, तो वे सुन्नतें न होंगी, नफ़्ल हो जाएंगी।

और सूरज निकलने से पहले पढ़ना मक्रूह है।

नमाज़ के मक्रूह वक़्त

इन वक़्तों में अगर नमाज़ पढ़ी जाए, तो मक्रूह होगी, सवाब कम होगा।

1. जब सूरज निकलना शुरू हो, उस वक़्त से सूरज के एक नेज़ा बुलन्द होने तक,

2. ठीक दोपहर के वक़्त,

3. शाम को सूरज का रंग पीला होने से डूबने तक हर नमाज़ पढ़ना मक्रूह है, लेकिन सिर्फ़ उसी दिन अस्र की नमाज़ सूरज डूबते हुए भी पढ़ी जा सकती है, अलबत्ता मक्रूह होगी[1]।

सिर्फ़ नफ़्ल नमाज़ कब मक्रूह है

सुबह सादिक़ होने के बाद से सूरज निकलने तक फ़ज्र की दो सुन्नतों के अलावा हर नफ़्ल नमाज़ मक्रूह है।

अस्र के फ़र्ज़ों के बाद से सूरज डूबने तक नफ़्ल नमाज़ मक्रूह है।

मगर इन दोनों वक़्तों में फ़र्ज़ और वाजिब नमाज़ की क़ज़ा, नमाज़े जनाज़ा और सज्दा तिलावत अदा करना जायज़ है।

सवालात

1. किन वक़्तों में हर नमाज़ मक्रूह है?

2. सिर्फ़ नफ़्ल नमाज़ किन वक़्तों में मक्रूह है?

1. इन तीनों मक्रूह वक़्तों का कोई टाइम मुक़र्रर नहीं है, मौसम और जगह के लिहाज़ से हर दिन एक-आध मिनट आगे पीछे होता रहता है।

बाद में आने वाली नमाज़

मस्जिद में या उस जगह जहां जमाअत की नमाज़ हो रही थी, आप ऐसे वक़्त पहुंचे कि इमाम साहब कुछ रक्अतें पढ़ा चुके थे, अब क्या करें?

आप इमाम के साथ जमाअत में शरीक हो जाएं और जितनी रक्अतें इमाम के साथ मिलें, पढ़ लें, जब इमाम साहब सलाम फेरें तो आप बग़ैर सलाम फेरे अपनी छूटी हुई रक्अतें पूरी करने के लिए खड़े हो जाएं।

जब आप छूटी हुई एक रक्अत या कई रक्अतों को पढ़ने के लिए खड़े हों, तो यह समझ लीजिए कि आप बिल्कुल शुरू से नमाज़ पढ़ रहे हैं।

जिस तरह आप बग़ैर जमाअत के तंहा नमाज़ पढ़ते हैं, उसी तरह और उसी तर्तीब से तमाम दुआएं वग़ैरह पढ़कर ये रक्अतें पूरी करनी हैं।

जैसे अगर आपको ज़ुहर की नमाज़ में दो रक्अतें इमाम के साथ मिलीं, दो छूट गईं। अब आप खड़े होकर पहली रक्अत में सना, अऊज़ुबिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सूरः फ़ातिहा और सूरः पढ़ेंगे, फिर क़ादा करके सलाम फेर देंगे।

ऐसे आदमी को जिस इमाम के साथ कुछ रक्अतें मिलें, कुछ छूट जाएं, मस्बूक़ कहते हैं।

अमली काम

नीचे लिखी हुई सूरतों में बाक़ी नमाज़ किस तरह अदा की जाएगी? किस रक्अत में क्या पढ़ा जाएगा? हर सवाल का जवाब सोच-समझकर अपनी कापी में लिखिए और अपने उस्ताद को दिखाए।

सवालात

1. फ़ज्र की जमाअत में इमाम के साथ सिर्फ़ क़ादा मिला, छूटी हुई रक्अतें कैसे पढ़ें?

2. जुहर की नमाज़ में एक रक्अत मिली, तीन रक्अतें छूट गईं, ये रक्अतें कैसे अदा करें?

3. अस्र की जमाअत की तीन रक्अतें मिलीं, एक छूट गई, कैसे पढ़ें?

4. मग़्रिब की जमाअत में एक रक्अत मिली, दो छूट गईं, कैसे पढ़ें?

5. इशा की जमाअत में दो रक्अतें मिलीं, दो छूट गईं, कैसे पढ़ें?

नमाज़ में भूल-चूक

अरे भाई! इंसान से तो हर वक़्त भूल-चूक हो सकती है, नमाज़ पढ़ रहे थे, ध्यान कहीं का कहीं चला गया और पढ़ते-पढ़ते कुछ घटा-बढ़ा दिया या तर्तीब ग़लत कर दी, अब क्या करें? ऐसी शक्ल में नमाज़ के आख़िरी क़ादे में दो सज्दे ज़्यादा किए जाते हैं, इसे सज्दा सह्व कहते हैं।

किस तरह की ग़लतियों पर सज्दा-सह्व करना चाहिए।

तकरारे फ़र्ज़

कोई फ़र्ज़ काम दो बार हो गया, जैसे एक रकूअत में दो रुकूअ कर लिए या तीन सज्दे कर लिए।

तक़्दीमे फ़र्ज़

कोई फ़र्ज़ अपने वक़्त से पहले हो गया, जैसे रुकूअ से पहले सज्दा कर लिया।

ताख़ीरे फ़र्ज़

कोई फ़र्ज़ बाद में हो जाए, जैसे पहले क़ादे में तशह्हुद के बाद दरूद शरीफ़ 'अल्लाहुम-म सल्ले अला मुहम्मद' तक पढ़ लिया या जितनी देर में यह लफ़्ज़ पढ़े जाएं उतनी देर ख़ामोश बैठे रहे।

वाजिब छोड़ देना

कोई वाजिब काम छूट गया, जैसे पहला क़ादा ही भूल गए।

वाजिब को बाद में कर देना

किसी वाजिब अमल में देर हो गई, जैसे जहरी (आवाज़ से) पढ़ने वाली नमाज़ इमाम ने धीरे से पढ़ना शुरू किया या सिर्री नमाज़ (आहिस्ता पढ़ने वाली नमाज़) में ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दिया, इस क़िस्म की तमाम ग़लतियों में सज्दा सह्व करना पड़ेगा, बशर्तेकि ये तमाम ग़लतियां भूले से हुई हों।

अगर किसी ने जानकर ऐसा किया तो नमाज़ होगी ही नहीं, दोहरानी पड़ेगी।

और किन ग़लतियों की वजह से सज्दा सह्व करना चाहिए

1. चार रकूअत वाली फ़र्ज़ नमाज़ की पहली दोनों रकूअतों में या किसी एक में अलहम्दु पढ़ना भूल गए, सज्दा सह्व कीजिए।

2. सुन्नत या नफ़्ल की किसी भी एक या ज़्यादा रकूअतों में अलहम्दु पढ़ना भूल गए, सज्दा सह्व कीजिए,

3. चार रकूअत वाली फ़र्ज़ नमाज़ की पहली या दूसरी रकूअत में अलहम्दु के साथ सूरः नहीं मिलाई, सज्दा सह्व कीजिए,

4. सुन्नत, नफ़्ल, वित्र किसी भी नमाज़ में अलहम्दु के साथ सूरः नहीं मिलाई, भूल गए, सज्दा सह्व कीजिए,

5. अलहम्दु पढ़कर सोचने लगे कि कौन-सी सूरः पढ़ें। इसमें इतनी देर हो गई, जितनी देर में तीन बार सुब्हानल्लाह कहा जाए, सज्दा सह्व कीजिए,

6. नमाज़ पढ़ने खड़े हुए, पहली रकूअत में अलहम्दु और सूरः पढ़ने के बाद ध्यान कहीं और चला गया, और अत्तहीयात पढ़ने लगे, सज्दा सह्व कीजिए,

इसी तरह क़ादा में बैठे और अत्तहीयात के बजाए अलहम्दु शरीफ़ पढ़ी, सज्दा सह्व कीजिए,

7. दूसरी रकूअत का सज्दा करने के बाद पहले क़ादे मे बैठना भूल गए, खड़े होने लगे, अब अगर क़ादे की हालत के क़रीब-क़रीब

याद कर लिया तो बैठ जाए, कोई हरज नहीं। अगर खड़े होने के क़रीब याद आया तो अब वापस न आए, बाक़ी नमाज़ क़ायदे के मुताबिक़ पूरी कीजिए और आख़िर में सज्दा सह्व कीजिए,

8. आख़िरी क़ादे में बैठना भूल गए, खड़े होकर रुकूअ तो कर लिया, मगर सज्दे से पहले याद आया कि हमें बैठना चाहिए था, कोई हरज नहीं, बैठ जाए, सज्दा सह्व कीजिए, नमाज़ हो गई, लेकिन अगर सज्दे के बाद याद आया तो उसको चाहिए कि उसके साथ एक रक्अत और मिला ले, ये सब छः रक्अतें नफ़्ल हो जाएंगी, अगर फ़र्ज़ की नीयत से पढ़ रहा था,

9. अगर कोई आदमी क़ौमा (रुकूअ के बाद सीधा खड़ा होना) भूल जाए या दो सज्दों के दर्मियान जल्सा न करे तो उसको भी सज्दा सह्व करना चाहिए,

10. अगर किसी ने चार रक्अत वाली फ़र्ज़ नमाज़ में दो रक्अत के बाद यह समझकर कि मैं चारों रक्अतें पढ़ चुका हूं, सलाम फेर दिया और फिर ख़्याल आया, तो उसको चाहिए कि दो रक्अतें और पढ़कर नमाज़ मुकम्मल कर ले और सज्दा सह्व कर ले।

सज्दा सह्व कैसे करें?

1. आख़िरी क़ादे में सिर्फ़ अत्तहीयात पढ़ कर दाहिनी तरफ़ रुख़ फेर दीजिए, फिर दो सज्दे कीजिए और बैठ कर क़ायदे के मुताबिक़ फिर तशह्हुद, दरूद शरीफ़ और दुआ पढ़ कर दोनों तरफ़ सलाम फेर दीजिए।

2. अगर सज्दा सह्व करना था और किसी ने तशह्हुद के बाद दरूद शरीफ़ और दुआ पढ़ ली, कोई हरज नहीं, सज्दा सह्व करके

फिर तीनों चीज़ें पढ़ लीजिए, नमाज़ हो गई

3. सज्दा सह्व करना था, मगर अत्तहीयात के बाद एक सलाम नहीं फेरा और दो सज्दे कर लिए, इस सूरत में नमाज़ तो हो जाएगी, मगर ऐसा करना मकरूह है।

सवालात

1. सज्दा सह्व करने का क्या तरीक़ा है?

2. किन ग़लतियों की वजह से सज्दा किया जा सकता है?

अमली काम

अपनी कापी में इस तरह का नक़्शा बना कर ख़ाने भरिए—

क्र.सं.	किस ग़लती पर सज्दा होगा	मतलब	मिसाल
1.	तकरारे फ़र्ज़	किसी फ़र्ज़ काम का दोबार हो जाना।	जैसे एक रकअत में दो रुकूअ़, तीन सज्दे
2.			
3.			

नमाज़ कम कर दी गई है

उस आदमी के लिए चार रक्अत वाली फ़र्ज़ नमाज़ कम कर दी गई है जो किसी भी सवारी से या पैदल सफ़र कर रहा हो।

मुसाफ़िर को जिस जगह जाना है, वह जगह कम से कम 48 मील की दूरी पर हो।

मुसाफ़िर जिस जगह जा रहा है, वहां पन्द्रह दिन से कम ठहरने का इरादा हो तो इस तरह के सफ़र में हर मुसलमान को अल्लाह तआला ने यह आसानी दी है कि वह चार फ़र्ज़ के बजाए दो फ़र्ज़ अदा करे।

रहीं सुन्नत और नफ़्ल नमाज़ की बात, तो उसका पढ़ना ज़रूरी नहीं है, अगर मौक़ा मिले तो पढ़ ले, न मौक़ा मिले तो कोई हरज नहीं। उसकी क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता फ़र्ज़ से पहले की दो सुन्नतें और वित्र की नमाज़ नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज़ के बाद इन दोनों नमाज़ों की बहुत ताकीद है।

हां, अगर सफ़र की हालत में किसी की फ़र्ज़ या वाजिब नमाज़ छूट गई है और घर आकर अदा करनी चाहता है तो उसी तरह अदा करनी होगी, यानी चार रक्अत वाली फ़र्ज़ नमाज़ की दो रक्अत और वित्र की तीन रक्अत, फ़ज्र या मग़्रिब की रक्अतों में तो किसी हालत में तब्दीली होती ही नहीं है। अगर किसी ने इरादा किया कि मेरा काम आठ दिन में हो जाएगा तो वापस आ जाऊंगा, लेकिन काम नहीं हुआ, फिर आठ दिन ठहरने की नीयत कर ली, फिर भी काम नहीं हुआ, फिर चार दिन रुकने के बाद चार-छः दिन रुकने का

इरादा कर लिया, इस तरह अगर वह कई महीने भी ठहर जाए तो मुसाफ़िर ही रहेगा, जब तक कि एक बार ठहरने की नीयत न करे।

मुसाफ़िर की आधी नमाज़ को क़स्र नमाज़ कहते हैं।

अगर मुसाफ़िर किसी मुक़ीम (कहीं के रहने वाले) इमाम के पीछे जमाअत के साथ नमाज़ पढ़े तो पूरी नमाज़ पढ़ेगा, क़स्र नहीं करेगा। अगर किसी मुसाफ़िर को कहीं इमाम बना दिया जाए तो वह अपनी क़स्र नमाज़ अदा करेगा, यानी दो रकूअत पढ़ाकर सलाम फेर देगा और पीछे पढ़ने वाले मुक़्तदी सलाम नहीं फेरेंगे, बल्कि अपनी बाक़ी रकूअतें बग़ैर इमाम के ख़ुद ख़ामोशी से पूरी कर लेंगे।

इन बाक़ी रकूअतों में मुक़ीम मुक़्तदी सूरः फ़ातिहा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सब दुआएं पढ़ेंगे।

अगर किसी मुसाफ़िर को इमाम बना दिया जाए तो दो रकूअत पर सलाम फेर कर कह देना चाहिए कि मैं मुसाफ़िर हूं, आप लोग अपनी नमाज़ पूरी कर लीजिए, मुसाफ़िर इमाम को नमाज़ शुरू करने से पहले भी कह देना चाहिए।

मुसाफ़िर कब से क़स्र नमाज़ शुरू करे

मुसाफ़िर जब अपनी बस्ती की आबादी से निकल जाए तो क़स्र नमाज़ शुरू कर दे, इसी तरह जब वापस आए, बस्ती में दाख़िल होते ही पूरी नमाज़ शुरू कर दे, चाहे घर में दाख़िल हुआ हो या नहीं।

कोई मुसाफ़िर सफ़र से वापस तो नहीं आया, मगर जहां गया था, वहां पन्द्रह दिन या उससे ज़्यादा ठहरने की नीयत कर ली, इस सूरत में क़स्र ख़त्म हो जाएगी और पूरी नमाज़ पढ़नी होगी।

अगर किसी मुसाफ़िर ने चार रक्अत फ़र्ज़ अदा कर लिए और दो रक्अत पर क़ादा किया है, तो आख़िर में सज्दा सह्व कर लेने से नमाज़ हो जाएगी, लेकिन जान कर ऐसा करना गुनाह है, भूले से हो गया तो कोई हरज नहीं। इस शक्ल में दो रक्अत फ़र्ज़ और दो नफ़्ल हो जाएंगे, फ़र्ज़ नमाज़ दोबारा पढ़नी नहीं पड़ेगी।

सवारी में नमाज़

आप मोटर, रेल, जहाज़, नाव या इस क़िस्म की किसी भी सवारी में सफ़र कर रहे हैं, नमाज़ का वक़्त हो गया, उतर नहीं सकते। ऐसी शक्ल में सवारी में नमाज़ अदा कर सकते हैं, चाहे अकेले पढ़िए या जमाअत का मौक़ा हो तो जमाअत से अदा कीजिए। आसानी से खड़े होने का मौक़ा हो तो खड़े होकर पढ़िए, वरना बैठकर पढ़ सकते हैं। जहां तक हो सके, फ़र्ज़ नमाज़ खड़े होकर पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नमाज़ में खड़ा होना फ़र्ज़ है।

क़िब्ले की सिम्त (दिशा) कैसे मालूम करें

रात के अंधेरे में चाहे गाड़ी में हों या जंगल में, कोई क़िब्ले की सिम्त बताने वाला न हो, ऐसी शक्ल में अपने दिल में अच्छी तरह सोच-विचार कीजिए, फिर दिल का इरादा जिस तरफ़ ग़ालिब हो, उसी सिम्त नमाज़ अदा कर लीजिए, नमाज़ हो जाएगी, चाहे असल में वह ग़लत सिम्त ही क्यों न हो।

सवालात

1. कितने सफ़र कर इरादा करने पर नमाज़ कम हो जाती है?

2. क़स्र नमाज़ का क्या मतलब है?

3. अगर सफ़र में नमाज़ छूट गई तो घर आकर किस तरह अदा की जाएगी?

4. अगर किसी मुसाफ़िर को इमाम बना दिया जाए, तो उसे क्या करना चाहिए?

5. मुसाफ़िर इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने वाले मुक़्तदी अपनी नमाज़ किस तरह पूरी करेंगे?

6. अगर किसी मुसाफ़िर ने दो के बजाए चार रकूअत अदा कर ली तो क्या हुक्म है?

7. सवारी में नमाज़ पढ़ने का क्या तरीक़ा है?

रमज़ानुल मुबारक की ख़ास नमाज़

तरावीह की नमाज़ रमज़ान की ख़ास नमाज़ है, यह और किसी महीने में नहीं होती, इसकी बीस रकूअतें होती हैं। इशा के फ़र्ज़ और सुन्नत के बाद वित्र से पहले दो-दो रकूअत करके पढ़ी जाती है। तरावीह की नमाज़ तमाम मुसलमान बालिग़ मर्दों और औरतों के लिए सुन्नते मुअक्कदा है।

औरतों के लिए जमाअत करना ज़रूरी नहीं है, मर्दों के लिए जमाअत से पढ़ना सुन्नते किफ़ाया है यानी मुहल्ले की मस्जिद में कुछ लोग जमाअत से पढ़ लें, बाक़ी घर में पढ़ लें तो सुन्नते किफ़ाया अदा हो जाएगी, हां अगर मुहल्ले की मस्जिद में जमाअत से कोई भी तरावीह न पढ़े तो सब मुहल्ले वाले गुनाहगार होंगे।

नमाज़ की तरीक़ा

तरावीह की बीस रकूअतें होती हैं और दो-दो करके पढ़ी जाती हैं, जिस तरह बाक़ी सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, वही तरीक़ा इनका है। हर चार रकूअत के बाद थोड़ी देर आराम के लिए बैठना मुस्तहब है।

आराम की हालत में चाहे ख़ामोश रहें या धीरे-धीरे क़ुरआन शरीफ़ पढ़ें, तस्बीह भी पढ़ सकते हैं।

तरावीह की नमाज़

मैं नीयत करता हूं दो रकूअत नमाज़ सुन्नत तरावीह अल्लाह तआला के वास्ते मुंह मेरा क़ाबे शरीफ़ की तरफ़, पीछे इस इमाम के,

अल्लाहु अक्बर।

मुंफ़रिद के लिए (इस इमाम के पीछे) का लफ़्ज़ कहने की ज़रूरत नहीं। नीयत का ज़ुबान से कहना भी ज़रूरी नहीं, दिल में कह लेना काफ़ी है। अगर इमाम के साथ तरावीह की पूरी रकअतें न मिलें तो छूटी हुई रकअतें वित्र की जमाअत के बाद अदा की जा सकती है।

अगर इशा के फ़र्ज़ जमाअत से न मिलें, तो पहले ख़ुद फ़र्ज़ पढ़कर तरावीह की जमाअत में शरीक होना चाहिए।

खड़े होने की ताक़त होते हुए बैठकर तरावीह पढ़ना मक्रूह है।

तरावीह में क़ुरआन मजीद

पूरे महीने में एक बार तरावीह में क़ुरआन मजीद ख़त्म करना सुन्नत है, दो बार ख़त्म करना अफ़ज़ल है और तीर बार ख़त्म करना ज़्यादा बेहतर और अफ़ज़ल है, मगर दो या तीन बार उसी वक़्त ख़त्म करना अफ़ज़ल है जब मुक़्तदियों को दुश्वारी न हो। एक रात में पूरे क़ुरआन मजीद का तरावीह में पढ़ना जायज़ है, मगर शर्त यह है कि मुक्तदी सुनने के शौक़ीन हों और किसी पर बोझ न हो। अगर लोगों को इतनी लम्बी नमाज़ से तक्लीफ़ होती है, बोझ महसूस होता है तो मक्रूह है। पूरे क़ुरआन मजीद में किसी एक सूरः के शुरू में एक बार 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' पढ़ना चाहिए, क्योंकि 'बिस्मिल्लाह' क़ुरआन मजीद की एक आयत है, अगर न पढ़ी गई तो क़ुरआन मजीद के पूरा होने में एक आयत की कमी रह जाएगी। कुछ जगहों पर दस्तूर है कि हाफ़िज़ जब तरावीह में क़ुरआन पढ़ते हुए सूरः इख़्लास पर पहुंचते हैं तो 'क़ुल हुवल्लाह' को तीन बार पढ़ते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको ज़रूरी समझना मक्रूह है, सिर्फ़ एक बार पढ़ना काफ़ी है।

नाबालिग़ लड़के के पीछे तरावीह की नमाज़ जायज़ नहीं।

सवालात

1. तरावीह में कितनी रक्अतें होती हैं और यह नमाज़ किस वक़्त पढ़ी जाती है?

2. तरावीह की नमाज़ का तरीक़ा क्या है?

3. सुन्नते किफ़ाया का क्या मतलब है?

4. अगर तरावीह शुरू हो चुकी हो और किसी ने फ़र्ज़ नमाज़ न पढ़ी हो, तो क्या करे?

एक रात में पूरा क़ुरआन मजीद तरावीह में ख़त्म करना किस शक्ल में जायज़ है?

तरावीह के हर चार रक्अत वाले हिस्से को तरवीहा कहते हैं। हर तरवीहा के बाद धीरे-धीरे यह दुआ पढ़नी मस्नून है—

'सुब-हा-न ज़िल्मुल्कि वल म-ल-कूति सुब-हा-न ज़िल इज़्ज़ति वल अज़्मति वल हैबति वल क़ुदरति वल किब्रियाइ वल ज-ब-रूति सुब-हानल मलिकिल हय्यिल्लज़ी ला यनामु व ला यमूतु सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूहि ला इला-ह इल्लल्लाहु व नस अलु-कल जन्न-त व नऊज़ु बि-क मिनन्नारि०'

सज्दा-ए-तिलावत

क़ुरआन मजीद की चौदह आयतें ऐसी हैं जिनके पढ़ने या सुनने से सज्दा करना वाजिब होता है। इसे सज्दा-ए-तिलावत (तिलावत का सज्दा) कहते हैं। बेहतर यह है कि जिस वक़्त सज्दे की आयत

पढ़ी या सुनी जाए, उसी वक़्त सज्दा कर लिया जाए। बाद में करने से भी कोई हरज नहीं, मगर ज़्यादा ताख़ीर मकरूह है।

1. एक जगह बैठकर सज्दे की आयत को कई बाद पढ़ा या सुना, तो एक ही सज्दा करना होगा।

2. एक आयत को कई जगह पढ़ा, जितनी जगह पढ़ा है, उतने ही सज्दे करने होंगे।

3. एक जगह बैठकर कई मुख़्तलिफ़ सज्दे की आयतें पढ़ीं, जितनी आयतें पढ़ीं, उतने सज्दे करने होंगे।

4. सज्दे की आयत को सुनने वाले के लिए भी यही हुक्म है।

सज्दा-ए-तिलावत करने का तरीक़ा

1. बेहतर तरीक़ा यह है कि खड़े होकर अल्लाहु अक्बर कहता हुआ बग़ैर रुकूअ के सज्दे में चला जाए और सज्दा करके तक्बीर कहता हुआ उठ खड़ा हो।

2. बैठे-बैठे भी सज्दा किया जा सकता है।

3. सज्दा-ए-तिलावत के लिए पाकी वग़ैरह की वही शर्तें हैं, जो नमाज़ के लिए ज़रूरी हैं।

4. अगर कोई आदमी ऐसी जगह तिलावत कर रहा है जहां और लोग भी बैठे हैं तो बेहतर है कि वह सज्दे की आयत धीरें से पढ़े या उन्हें बता दे कि मैंने सज्दे की आयत पढ़ी है।

5. क़ुरआन शरीफ़ की बाक़ी आयतों को पढ़ना और सिर्फ़ सज्दे की आयत को सज्दा-ए-तिलावत से बचने के लिए छोड़ देना मकरूह है।

सज्दा-ए-तिलावत की आयतें क़ुरआन मजीद में कहां-कहां हैं—

क्र.सं.	सिपारा	सूरः	रुकूअ	आयत नं०
1	9	अल-आराफ़	14	206
2	13	अर-राद	8	15
3	14	अन-नह्ल	12	50
4	15	बनी इसराईल	12	109
5	16	मरयम	7	58
6	17	अल-हज्ज	9	18
7	19	अल-फ़ुरक़ान	3	60
8	19	अन-नम्ल	17	26
9	21	अस-सज्दा	15	15
10	23	स्वाद	11	24
11	24	हामीम-सज्दा	19	38
12	27	अन-नज्म	7	62
13	30	अल-बुरूज	9	21
14	30	अल-अ़लक़	21	19

सवालात

1. सज्दा-ए-तिलावत का क्या तरीक़ा है?

2. एक जगह बैठकर सज्दे की कई आयतें पढ़ीं तो कितने सज्दे करने होंगे?

3. सज्दे की एक आयत को कई जगह पढ़ा तो कितने सज्दे करने होंगे?

4. एक जगह सज्दे की एक आयत को कई बार पढ़ा तो कितने सज्दे करने होंगे?

अमली काम

सज्दे की आयतों का नक़्शा अपनी कापी में बनाइए।

ईदुल फ़ित्र

ईदुल फ़ित्र के मानी हैं रोज़ा खोलने की ख़ुशी।

अल्लाह तआला ने तमाम मुसलमान बालिग़ मर्दों, औरतों पर रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं।

हमने रमज़ानुल मुबारक में रोज़ों की इस ख़ास और अहम इबादत के फ़र्ज़ को अंजाम दिया, इस पर हमें ख़ुशी भी मनानी चाहिए और ख़ुदा का शुक्र भी अदा करना चाहिए।

ईद का दिन इसी बात की ख़ुशी मनाने का दिन है कि अल्लाह ने हमें इस फ़र्ज़ को अदा करने की ताक़त और हिम्मत बख़्शी और रोज़े अच्छी तरह ख़ैरियत से गुज़र गए।

ईद के दिन क्या काम सुन्नत या मुस्तहब हैं?

1. मिस्वाक और गुस्ल करना सुन्नत है।

2. अपने लिबास में से सबसे अच्छा लिबास पहनना सुन्नत है, जो आसानी से हासिल हो सके और रंग व क़िस्म के लिहाज़ से जायज़ हो। मर्दों को ख़ालिस रेशमी और भड़कदार शोख़ रंग के कपड़े पहनना जायज़ नहीं।

3. ख़ुश्बू लगाना सुन्नत है।

4. ईदुल फ़ित्र की नमाज़ को जाने से पहले ताक़ तायदाद में

खजूरें या कोई मिठाई ख़ाना सुन्नत है।

5. ईदगाह में ईद की नमाज़ अदा करना सुन्नत है।

6. अगर बीमारी, बुढ़ापे या घर से बहुत दूर होने की मजबूरी न हो तो ईदगाह पैदल जाना चाहिए। हुज़ूर सल्ल० पैदल ईदगाह तशरीफ़ ले जाते थे।

7. ईदगाह एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना सुन्नत है।

8. ईद की नमाज़ से पहले या बाद में, घर में या ईदगाह में नफ़्ल नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए।

कुछ लोग यह समझते हैं कि जिसने ईद के दिन फ़ज्र की नमाज़ नहीं पढ़ी, उसकी ईद की नमाज़ नहीं होती। यह ख़्याल दुरुस्त नहीं है। फ़ज्र की नमाज़ या किसी भी नमाज़ के छूट जाने का गुनाह अलग है, लेकिन ईद की नमाज़ हो जाएगी।

ईदगाह में इतने छोटे बच्चों को साथ ले जाना, मुनासिब नहीं, जो नासमझ हों, जिनके रोने या घबराने की वजह से नमाज़ियों की नमाज़ में ख़लल पड़े।

ईद के दिन सुबह-सवेरे उठना मुस्तहब है।

ईदगाह जल्दी जाना मुस्तहब है।

सदक़ा-ए-फ़ित्र अदा करके जाना सुन्नत है।

सवालात

1. ईदुल फ़ित्र क्यों मनाई जाती है?

2. ईद के दिन क्या काम सुन्नत या मुस्तहब हैं?

ईदुल अज़्हा

ईदुल अज़्हा के मानी हैं क़ुरबानी की ख़ुशी।

यह ईद असल में हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिमुस्सलाम की ख़ास इबादत और अल्लाह की इताअ़त की एक यादगार है। अब से लगभग साढ़े पांच हज़ार साल पहले ख़ुदा के प्यारे बन्दे और पैग़म्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख़्वाब देखा और अपने चहेते और इकलौते बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा, 'ऐ मेरे प्यारे बेटे! मैं ख़्वाब में देखता हूं कि तुमको ज़िब्ह कर रहा हूं, अब तुम सोचकर बताओ तुम्हारी क्या राय है? प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया—

'अब्बा जान! आपको जो हुक्म दिया गया है, आप उसे ज़रूर पूरा कीजिए, इन्शाअल्लाह तआला आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। जब दोनों ने ख़ुदा के हुक्म को मान लिया और बाप ने बेटे को ज़िब्ह करने के लिए लिटा दिया, तो अल्लाह ने उनको आवाज़ दी—

'ऐ इब्राहीम! तुमने ख़्वाब को सच कर दिखाया, हम अच्छे काम करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। हक़ीक़त में यह था एक बड़ा इम्तिहान और हमने एक बड़ा ज़बीहा उसके बदले में दे दिया।'

—सूरः साफ़्फ़ात, 102-110

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह क़ुरबानी अल्लाह तआला को इतनी पसंद आई कि क़ियामत तक आने वाले तमाम साहिबे निसाब मुसलमान बालिग़ मर्दों-औरतों के लिए क़ुरबानी करना वाजिब क़रार दे दिया।

ईदुल अज़्हा में क्या करना चाहिए

जिस तरह ईदुल फ़ित्र में मिस्वाक करना, ग़ुस्ल करना, अच्छे कपड़े पहनना और ख़ुश्बू लगाना सुन्नत है, उसी तरह ईदुल अज़्हा में भी। नमाज़ के बाद अपनी क़ुरबानी का गोश्त खाना सुन्नत है। जिस मुसलमान बालिग़ मर्द-औरत पर सदक़ा-ए-फ़ित्र अदा करना वाजिब है, उसी पर क़ुरबानी करना वाजिब है।

क़ुरबानी का वक़्त 10 ज़िलहिज्जा से 12 ज़िलजिज्जा के सूरज डूबने तक रहता है।

क़ुरबानी के जानवर

बकरी, भेड़, दुंबा, एक आदमी की तरफ़ से एक और गाय, भैंस, ऊंट एक जानवर में सात हिस्से होते हैं, यानी सात आदमियों की तरफ़ से एक जानवर हो सकता है।

क़ुरबानी का तरीक़ा

तन्दुरुस्त जानवर को क़िब्ले की तरफ़ मुंह करके लिटा देना चाहिए, इसके बाद जिसकी तरफ़ से क़ुरबानी की जा रही है, वह ख़ुद या उसकी तरफ़ से कोई भी हो, दिल में यह नीयत करे कि मैं फ़्लां आदमी की तरफ़ से हज़रत इब्राहीम और हज़रत मुहम्मद सल्ल० की सुन्नत अदा करते हुए इस जानवर को अल्लाह की राह में क़ुरबान करता हूं।

फिर 'बिस्मिल्लाह अल्लाहु अक्बर' कहते हुए तेज़ छुरी को जानवर की गरदन पर ज़ोर से फेरे, यहां तक कि नरख़रा और शहे

रग कट जाए। क़ुरबानी की दुआ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, अगर याद हो तो बेहतर है, वरना सिर्फ़ 'बिस्मिल्लाह अल्लाहु अक्बर' कह कर ज़िब्ह कर देना चाहिए। ज़िब्ह करते वक़्त गरदन का बदन से जुदा कर देना मक्रूह है, थोड़ी देर जानवर के ठंडा होने के बाद गरदन अलग करनी चाहिए। क़ुरबानी की दुआ यह है—

اِنِّیْ وَجَّھْتُ وَجْھِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ، اِنَّ صَلٰوتِیْ وَنُسُکِیْ وَ مَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، لَاشَرِیْکَ لَهٗ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ، اَللّٰھُمَّ مِنْكَ وَلَكَ۔

'इन्नी वज्जहतु वज्हि-य लिल्लज़ी फ़-त-रस्समावाति वल-अर-ज़ हनीफ़ंव-व मा अना मिनल मुश्रिकीन० इन-न सलाती व नुसुकी व मह्या-य व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरी-क लहू व बिज़ालि-क उमिर्तु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन अल्लाहुम-म मिन-क व ल-क०'

यह दुआ पढ़कर फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अक्बर कहते हुए ज़िब्ह करना चाहिए। इसके बाद यह दुआ पढ़े—

اَللّٰھُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّیْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِیْبِكَ مُحَمَّدٍ وَخَلِیْلِكَ اِبْرَاھِیْمَ عَلَیْھِمَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ۔

'अल्लाहुम-म तक़ब्बलहु मिन्नी कमा तक़ब्बल-त मिन हबीबि-क मुहम्मदिन व ख़लीलि-क इब्राही-म अलैहिमुस्सलातु वस्सलामु०

दोनों ईदों की ख़ास तक्बीरें

दोनों ईदों की नमाज़ को जाते हुए रास्तें में तक्बीर पढ़ना भी सुन्नत है, ईदुल फ़ित्र में धीरे से तक्बीर कहना और ईदुल अज़्हा में

ज़ोर से तक्बीर कहना मुस्तहब है।

अय्यामे तश्रीक़ और तक्बीराते तश्रीक़

ज़िलहिज्जा के महीने की 11-12-13 तारीख़ों को अय्यामे तश्रीक़ कहते हैं। ज़िलहिज्जा की 9 तारीख़ की फ़ज्र के बाद से 13 ज़िलहिज्जा की अस्र तक हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद एक बार ज़ोर से तक्बीर पढ़ना वाजिब है।

औरतों को ये तक्बीरें धीरे से पढ़नी चाहिएं।

जमाअत की नमाज़ के बाद अगर इमाम भूल जाए तो मुक़्तदियों को तक्बीर याद दिला देना चाहिए।

तक्बीर यह है–

اَللّٰہُ اَکْبَرُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ لَآ اِلٰـہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ وَلِلّٰہِ الْحَمْدُ۔

'अल्लाहु अक्बर अल्लाहु अक्बर लाइला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर अल्लाहु अक्बर व लिल्लाहिल हम्दु'

इन तक्बीरों को तक्बीराते तश्रीक़ कहते हैं।

ईद की नमाज़

दोनों ईदों की नमाज़ें वाजिब हैं और जिन लोगों पर जुमा की नमाज़ फ़र्ज़ है, उन्हीं पर ईद की नमाज़ वाजिब है और जो शर्तें जुमा की नमाज़ की हैं, वही ईद की नमाज़ की हैं, बस इतना फ़र्क़ है कि ईदैन की नमाज़ का ख़ुत्बा फ़र्ज़ नहीं, बल्कि सुन्नत है और नमाज़ से पहले नहीं, बल्कि नमाज़ के बाद ख़ुत्बा पढ़ा जाता है।

ईद की नमाज़ के ख़ास उसूल

इन उसूलों को अच्छी तरह ज़ेहन में बिठा लिया जाए तो ग़लती का इम्कान नहीं रहता।

दोनों ईदों की नमाज़ में दो रकूअतें हैं। दोनों ईदों के लिए अज़ान और तक्बीर नहीं होती।

हर उस तक्बीर पर जिसके बाद मुक़्तदी या इमाम को कुछ पढ़ना है, हाथ बांधे जाएंगे।

हर उस तक्बीर पर जिसके बाद इमाम या मुक़्तदी को कुछ नहीं पढ़ना है, हाथ छोड़े जाएंगे।

पहली रकूअत में सना के बाद तीन ज़्यादा तक्बीरें क़िरात से पहले होंगी, दूसरी रकूअत में तीन ज़्यादा तक्बीरें क़िरात के बाद होंगी।

ईद की नमाज़ की नीयत

मैं नीयत करता हूं दो रकूअत नमाज़ वाजिब ईदुल फ़ित्र या ईदुल अज़्हा मय छः ज़्यादा तक्बीरों के, अल्लाह के वास्ते, इस इमाम के पीछे, मेरा मुंह क़ाबा शरीफ़ की तरफ़, अल्लाहु अक्बर।

नीयत के लफ़्ज़ों का ज़ुबान से अदा करना ज़रूरी नहीं, दिल में ख़्याल कर लेना काफ़ी है।

नमाज़ की बाक़ी तर्तीब

नीयत के बाद तक्बीरे तहरीमा कह कर हाथ बांध लेंगे और सना पढ़ेंगे, फिर दोनों हाथ कानों तक उठाए हुए अल्लाहु अक्बर कह

कर हाथ छोड़ देंगे।

दूसरी बार दोनों हाथ कानों तक उठाकर अल्लाहु अक्बर कहेंगे और हाथ छोड़ देंगे।

तीसरी बार दोनों हाथ कानों तक उठाकर अल्लाहु अक्बर कहेंगे और हाथ बांध लेंगे।

फिर इमाम साहब तअव्वुज़, तस्मिया, सूरः फ़ातिहा और सूरः पढ़कर रुकूअ-सज्दा करेंगे।

जब इमाम साहब दूसरी रक्अत के लिए खड़े होंगे तो पहले क़िरात करेंगे, इसके बाद तीन बार कानों तक हाथ उठाकर अल्लाहु अक्बर कहते हुए हाथ छोड़ देंगे। चौथी तक्बीर कहते हुए बग़ैर हाथ उठाए रुकूअ में चले जाएंगे और सज्दे-क़ादा करके नमाज़ पूरी कर लेंगे।

फिर इमाम साहब खड़े होकर ज़ोर से दो ख़ुत्बे देंगे। दोनों के दर्मियान थोड़ी देर बैठना मस्नून है।

मुक़्तदियों को ख़ामोशी से ख़ुत्बा सुनना वाजिब है। अगर इमाम से दूर हों, ख़ुत्बा की आवाज़ न आ रही हो, तब भी ख़ामोश बैठना चाहिए। जब तक ख़ुत्बा ख़त्म न हो जाए ख़ामोश ही रहें।

ईद की नमाज़ के बाद मुसाफ़ा या गले मिलने को ज़रूरी समझना ठीक नहीं है।

सवालात

1. ईदुल अज़्हा क्यों मनाई जाती है?
2. क़ुरबानी किन लोगों पर वाजिब है?

3. क़ुरबानी का क्या वक़्त है और क़ुरबानी के जानवर कौन-से हैं?
4. क़ुरबानी का तरीक़ा क्या है?
5. तक्बीराते तशरीक़ किन तारीख़ों में किस वक़्त पढ़ी जाती हैं?
6. ईद की नमाज़ और आम नमाज़ों में क्या फ़र्क़ है?

बीमार की नमाज़

अल्लाह तआला ने किसी इबादत में ज़बरदस्ती नहीं की, हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डाला।

अगर वुज़ू करने में पानी नुक़्सान देता हो, मिट्टी से तयम्मुम कर लो।

अगर बीमारी की वजह से खड़े होने में तक्लीफ़ हो, बैठकर नमाज़ पढ़ लो।

अगर थोड़ी देर खड़े होने की ताक़त हो तो इतनी देर खड़ा होना ज़रूरी है, बाक़ी नमाज़ बैठकर पढ़ लो।

अगर तक्लीफ़ या कमज़ोरी की वजह से बैठकर नमाज़ पढ़ना भी मुश्किल हो तो लेटे-लेटे नमाज़ अदा कर लो।

लेट कर नमाज़ अदा करने की शक्ल यह है कि चित लेटे और पांव क़िब्ले की तरफ़ रखे, मगर क़िब्ले की तरफ़ पांव फैलाना बे-अदबी है, इसलिए घुटने खड़े रखे जाएं, सर के नीचे तकिया वग़ैरह रखकर ज़रा ऊंचा कर लिया जाए और रुकूअ-सज्दे के लिए सर झुकाकर इशारे से नमाज़ पढ़ी जाए।

रुकूअ के लिए ज़रा कम सर झुकाया जाए और सज्दे के लिए ज़्यादा।

अब रही यह बात कि किसी मरीज़ में लेटकर इशारे से भी नमाज़ पढ़ने की ताक़त नहीं रही।

ऐसे मरीज़ को नमाज़ मुअख़्ख़र (पीछे) करने की इजाज़त है, फिर अगर एक रात-दिन मरीज़ ऐसी हालत में रहे कि उसमें इशारे से नमाज़ पढ़ने की ताक़त भी न आए, तो इन नमाज़ों की क़ज़ा करना भी ज़रूरी नहीं।

हां, अगर रात-दिन या इससे कम में मरीज़ को होश आ जाए या हालत अच्छी हो जाए, तो फिर छूटी हुई नमाज़ों की क़ज़ा ज़रूरी होगी जो कि पांच नमाज़ें या इससे कम होंगी।

अगर किसी मरीज़ पर छः नमाज़ों तक या इससे ज़्यादा बे-होशी रही, फिर तंदुरुस्त हो गया तो उस पर इन नमाज़ों की क़ज़ा ज़रूरी नहीं, वे नमाज़ें माफ़ हैं।

अगर किसी मरीज़ को रकूअतों की गिनती याद न रहती हो तो ऐसी हालत में उसको नमाज़ अदा करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सेहत आ जाने के बाद इन नमाज़ों को क़ज़ा करे।

अगर कोई तन्दुरुस्त आदमी कमज़ोर को रकूअत की गिनती बताता जाए तो उसकी नमाज़ हो जाएगी।

अगर किसी को नमाज़ की हालत में मरज़ हो जाए तो जिस तरह भी मुम्किन हो, बैठकर जल्दी नमाज़ मुकम्मल कर लेनी चाहिए। अगर बैठने से भी माज़ूर हो जाए तो लेटकर नमाज़ अदा कर ले।

अगर नमाज़ की हालत में इमाम की क़िरात लम्बी हो जाए और बूढ़े या कमज़ोर नमाज़ी के लिए खड़ा होना मुश्किल हो तो उसे नमाज़ के बीच में बैठने की इजाज़त है।

ज़ख़्मी कैसे नमाज़ अदा करे

खेल-कूद में या किसी हादसे में चोट आ जाए या ख़ुदा-न-ख़्वास्ता हड्डी टूट जाए तो नमाज़ अदा करने के लिए दो तरह की मुश्किल पेश आती है, एक वुज़ू की, दूसरे नमाज़ अदा करने की।

ज़ख़्मी को पहले यह देखना चाहिए कि ज़ख़्म किस हालत में है, अगर ज़ख़्म से बराबर ख़ून बह रहा है, किसी वक़्त रुकता ही नहीं है तो हर नमाज़ के लिए वुज़ू कर लेना चाहिए या ऐसी हालत है कि तयम्मुम की इजाज़त है तो तयम्मुम कर लेना चाहिए और नमाज़ अदा कर लेनी चाहिए। अगर नमाज़ के दौरान ख़ून बहता रहे, तो कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता, नमाज़ हो जाएगी, मगर यह वुज़ू या तयम्मुम सिर्फ़ एक ही नमाज़ के लिए होगा। इससे दूसरे वक़्त की नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकती, दूसरी नमाज़ के लिए दोबारा वुज़ू करना पड़ेगा। चाहे आम क़ायदे के मुताबिक़ कोई नाक़िस वुज़ू की बात न हुई हो।

यही मस्अला उस मरीज़ के लिए भी होगा, जिसको लगातार पेशाब के क़तरे आते रहते हों,या हवा ख़ारिज होती रहती हो या ज़ख़्म से पीप वग़ैरह निकलती रहती हो।

अगर जख़्म पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया है और वह हिस्सा वुज़ू के अंग में शामिल है तो वुज़ू के वक़्त भीगे हाथ प्लाटर पर मसह कर लेना चाहिए, दूसरी मुश्किल नमाज़ पढ़ने की है तो इसके लिए आम मरीज़ का हुक्म होगा यानी खड़े होने की ताक़त न हो तो बैठकर अदा करे वरना लेट कर अदा करे।

अगर टांग मुड़ती न हो तो सीधी रखे, ग़रज़ जिस तरह आसानी हो नमाज़ पढ़ ले।

सवालात

1. बीमार आदमी को नमाज़ पढ़ने की क्या आसानियां दी गई हैं?

2. बीमार आदमी कब नमाज़ मुख़्तसर कर सकता है?

3. किस शक्ल में छूटी हुई नमाज़ों की क़ज़ा ज़रूरी है?

4. किस सूरत में छूटी हुई नमाज़ें माफ़ हैं?

आख़िरी नमाज़

दुनिया में न कोई हमेशा रहने आया और न आएगा। कोई बहादुर पहलवान हो या डाक्टर हकीम, बादशाह वज़ीर हो या ग़रीब फ़क़ीर, सब को दुनिया से एक दिन जाना ज़रूर है, मगर मुसलमान की शान यह है कि उसकी ज़िंदगी की कोई ख़ुशी और ग़म इबादत और अल्लाह की इताअत से ख़ाली नहीं होती। मुसलमान बच्चा पैदा होता है, तो उसके कान में अल्लाहु अक्बर की आवाज़ पहुंचाई जाती है। दाहिने कान में अज़ान और बाएं कान में तक्बीर कही जाती है।

देखिए अभी बच्चा नासमझ है, मगर उसकी ज़िंदगी की शुरूआत इबादत से हो रही है।

जब शादी होती है तो अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक़ निकाह पढ़ाया जाता है, ख़ुत्बा दिया जाता है, वलीमे की दावत की जाती है, इस तरह यह ख़ुशी की ख़ास तक़रीब भी इबादत ही के ज़रिए अंजाम पाती है। जब मुसलमान का आख़िरी वक़्त आता है तो उसके क़रीब क़ुरआन मजीद की तिलावत की जाती है, कलिमे की तलक़ीन की जाती है।

जब रूह जिस्म से निकलकर अल्लाह तआला के पास चली जाती है और ख़ाली जिस्म रह जाता है तो जिस्म को भी अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक़ नहला-धुलाकर, पाक कफ़न पहनाकर नमाज़ पढ़ा के मिट्टी के सुपुर्द कर दिया जाता है।

मुसलमान की दुन्यावी ज़िंदगी की यह आख़िरी इबादत होती है।

आइए इस आख़िरी इबादत और आख़िरी नमाज़ का तरीक़ा भी

समझ लें।

जनाज़े की नमाज़ फ़र्ज़े किफ़ाया है। एक दो आदमी भी पढ़ लें तो सब मुसलमानों की तरफ़ से अदा हो जाता है और किसी ने भी नहीं पढ़ी, बग़ैर नमाज़ के बग़ैर जनाज़ा दफ़न कर दिया गया तो सब गुनाहगार होंगे।

नमाज़ से पहले जनाज़े की ज़रूरी बातें

1. एक यह कि मैयत का मुसलमान होना,
2. मैयत का पाक होना,
3. मैयत के कफ़न का पाक होना,
4. मैयत का सतर ढका होना,
5. मैयत नमाज़ पढ़ाने वाले के सामने होना,

ये जनाज़े की नमाज़ की शर्तें हैं। नमाज़ पढ़ने वालों के लिए वही शर्तें हैं जो सब नमाज़ों के लिए हैं।

जनाज़े की नमाज़ का तरीक़ा

पहले जनाज़े को नमाज़ियों के सामने दर्मियान में रखकर तीन या पांच या सात सफ़ें बना ली जाएं, फिर इमाम मैयत के सामने खड़ा हो।

इमाम और मुक़्तदी सब पूरी दुआएं धीरे-धीरे नीचे लिखे हुए उसूल के मुताबिक़ पढ़ें।

पहले नीयत करें, अरबी में याद न हो तो उर्दू में या अपनी ज़ुबान में ये लफ़्ज़ कहे, मैं ख़ुदा के लिए इस जनाज़े की नमाज़ क़िब्ले

की तरफ़ मुंह करके इस इमाम के पीछे पढ़ता हूं।

फिर इमाम ज़ोर से और मुक़्तदी आहिस्ता से अल्लाहु अक्बर कहते हुए दोनों हाथ कानों तक उठाकर नाफ़ के नीचे बांध लें।

अब इमाम और मुक़्तदी 'सुब-हा-न-कल्लाहुम-म' पढ़ें 'तआला जद्दु-क व जल्ल सना-उ-क' भी कह लें तो अच्छा है। फिर इमाम ज़ोर से और मुक़्तदी धीरे से बग़ैर हाथ उठाए दूसरी तक्बीर कहें और दोनों दरूद जो नमाज़ के आख़िरी क़ादे में पढ़े जाते हैं, सब धीरे से पढ़ें, फिर तीसरी तक्बीर कहें और अगर जनाज़ा बालिग़ मर्द या औरत का हो तो इमाम और मुक़्तदी यह दुआ पढ़ें—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا

اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ۔

'अल्लाहुम्मग़्फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदि-ना व ग़ाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़-करिना व उन्साना अल्लाहुम-म मन अह्यैतहू मिन्ना फ़-अह्यिही अलल इस्लामि व मन त-वफ़्फ़ैतहू मिन्ना फ़-तवफ़्फ़हू अलल ईमान०'

(ऐ अल्लाह! हमारे ज़िंदों और मुर्दों को, हाज़िर और ग़ायब लोगों को, छोटों को और बड़ों को, मर्दों और औरतों को बख़्श दे। ऐ हमारे ख़ुदा! हममें से जिसे ज़िंदा रखे, उसे इस्लाम पर ज़िंदा रख, और जिसे वफ़ात दे, उसे ईमान पर वफ़ात दे।)

अगर जनाज़ा नाबालिग़ लड़के का हो, तो यह दुआ पढ़ेंगे—

'अल्लाहुम्मजअल्हु लना फ़-र-तंव-वज अलहु लना अजरंव-व ज़ुख़-रंव-वज-अलहु लना शाफ़िअवं -व मुशफ़्फ़िअ़ा०'

(ऐ अल्लाह! इस बच्चे को हमारी निजात के लिए आगे जाने वाला बना उसकी जुदाई की मुसीबत को हमारे लिए अज्र और ज़ख़ीरा बना और इसको हमारी शफ़ाअत किया गया बना।)

अगर जनाज़ा नाबालिग़ लड़की का हो तो उस पर भी यही दुआ पढ़ेंगे, लेकिन इतना फ़र्क़ कर लेंगे कि तीनों जगह बजाए 'इजअलहु-के 'इजअलहा' और 'शाफ़िअवं-व मुशफ़्फ़िआ' की जगह 'शाफ़िअतंव-व-मुशफ़्फ़आः' पढ़े।

यह सिर्फ़ अरबी भाषा के ग्रामर के लिहाज़ से लफ़्ज़ों का फ़र्क़ है, मानी दोनों के एक हैं। इसके बाद इमाम ज़ोर से और मुक़्तदी धीरे से चौथी तक्बीर कहे, फिर इमाम ज़ोर से और मुक़्तदी धीरे से पहले दाहिनी तरफ़, फि' बाईं तरफ़ 'अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि' कहते हुए सलाम फेर दें। इसके बाद क़ायदे के मुताबिक़ जनाज़ा दफ़न कर दिया जाए।

अगर किसी गांव या वीरान जगह में मुसलमान मैयत को बग़ैर नमाज़ के दफ़न कर दिया गया तो दफ़न करने के तीन दिन बाद तक उसकी क़ब्र पर नमाज़ पढ़ी जा सकती है।

अगर कोई बच्चा मरा हुआ पैदा हो जिसके बारे में यह तस्दीक़ हो जाए कि पैदाइश के वक़्त इसमें सांस नहीं थी तो न उसको ग़ुस्ल देने की ज़रूरत है, न नमाज़ पढ़ने की, बल्कि इसे कपड़े में लपेटकर क़ब्रस्तान में दबा देना चाहिए, बाक़ायदा क़ब्र बनाना भी ज़रूरी नहीं है।

अगर किसी आदमी को किसी जानवर ने फाड़ खाया हो या जंग में उसके जिस्म का अक्सर हिस्सा बर्बाद हो गया हो तो उसको कफ़न देना या नमाज़ ज़रूरी नहीं है, कपड़े में लपेटकर क़ब्रस्तान में दबा देना चाहिए, बाक़ायदा क़ब्र बनाना भी ज़रूरी नहीं है।

सवालात

1. मुसलमान बच्चे के किस कान मे अज़ान कही जाती है और किस में तक्बीर?

2. फ़र्ज़े किफ़ाया का क्या मतलब है?

3. बालिग़ मर्द, औरत, लड़के और लड़की की दुआओं में क्या फ़र्क़ है?

अमली काम

जनाज़े की नमाज़ की दुआएं ज़ुबानी याद कीजिए और अपने उस्ताद को सुनाइए।

ज़रूरी बातें

(पारिभाषिक शब्द यानी इस्तिलाह)

फ़र्ज़— उस काम को कहते हैं जिस काम के बारे में अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साफ़-साफ़ हुक्म ताकीद के साथ हों और उस पर अमल करना मुसलमानों के लिए ज़रूरी हो, जैसे पांचों वक़्त की फ़र्ज़ नमाज़ें या रमज़ान के रोज़े।

फ़र्ज़ का इंकार करने वाला मुसलमान नहीं रहता। अगर कोई शख़्स फ़र्ज़ को माने, मगर बग़ैर किसी शरई मजबूरी के उस पर अमल न करे, वह सख़्त गुनाहगार होता है।

फ़र्ज़ की दो क़िस्में हैं—

फ़र्ज़े ऐन— वह फ़र्ज़ जिसका अदा करना हर मुसलमान पर अलग-अलग ज़रूरी हो, जैसे फ़र्ज़ नमाज़, रमज़ान के रोज़े।

फ़र्ज़ किफ़ाया— वह फ़र्ज़ जिसका अदा करना हर मुसलमान के लिए अलग-अलग ज़रूरी नहीं। अगर दो एक आदमी भी अदा कर लें तो सबकी तरफ़ से अदा हो जाएगा, जैसे जनाज़े की नमाज़।

वाजिब— ऐसा काम जिसके करने का शरीअत में हुक्म है और उसके छोड़ने पर सज़ा भी होगी, मगर उसका दर्जा फ़र्ज़ से कम और सुन्नत से ज़्यादा होता है, जैसे वित्र की नमाज़ या ईद व बक़रीद की नमाज़ें।

वाजिब का इंकार करने वाला मुसलमान रहता है मगर उस पर अमल न करने वाला सख़्त गुनाहगार होता है।

वाजिब ऐन— जिसका अदा करना हर मुसलमान के लिए अलग-अलग वाजिब हो,

वाजिब किफ़ाया— वह हुक्म जिसको कुछ मुसलमान अदा कर लें तो सबकी तरफ़ से अदा हो जाए और कोई अदा न करे तो सब गुनाहगार हों, जैसे दीन की तब्लीग़ करना।

सुन्नत— उस काम को कहते हैं जिसको हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने या आपके सहाबा किराम रज़ि० ने किया हो या करने के लिए कहा हो।

सुन्नते मुअक्कदा— उस काम को कहते हैं जिसे हुज़ूर सल्ल० ने या आपके सहाबा किराम रज़ि० ने हमेशा किया हो, उसके करने की ताकीद की हो और बग़ैर किसी मजबूरी के कभी न छोड़ा हो, जैसे फ़ज्र के फ़र्ज़ों से पहले दो सुन्नतें।

सुन्नते ग़ैर-मुअक्कदा— उस काम को कहते है जिसे हुज़ूर सल्ल० ने या आपके सहाबा किराम रज़ि० ने अक्सर किया हो, लेकिन कभी-कभी बग़ैर किसी मजबूरी के छोड़ भी दिया हो, जैसे अस्र के फ़र्ज़ से पहले की चार सुन्नतें।

नफ़्ल— नफ़्ल के मानो ज़्यादा हैं,

नफ़्ल वह काम कहलाता है जिसके करने में सवाब है, न करने में कोई गुनाह नहीं।

हराम— वह काम जिसको इस्लाम ने सख़्ती से मना किया हो, जैसे शराब पीना। अगर कोई आदमी हराम काम का इंकार कर दे तो मुसलमान नहीं रहेगा। इस क़िस्म के काम करने वाला सख़्त गुनाहगार होगा।

मक्रूहे तह्रीमा— ऐसा बुरा काम जो हराम के क़रीब-क़रीब हो, उसका इंकार करने वाला मुसलमान तो रहता है, मगर उस पर अमल करने वाला गुनाहगार होता है।

मक्रूहे तंज़ीही— उस काम को कहते हैं जिसको छोड़ने में सवाब है और करने में अज़ाब तो नहीं, मगर कुछ बुराई ज़रूर है, उससे बचना चाहिए।

सबसे अच्छा आदमी

सबसे अच्छा आदमी वह है जो सबसे ज़्यादा बुराइयों से बचता है, जिसकी आदतें अच्छी हैं।

कैसा ही मोटा-ताज़ा ख़ूबसूरत ऊंचे ख़ानदान का आदमी हो, अगर बुराइयों से परहेज़ नहीं करता, उसकी आदत, बोल-चाल, मेल-जोल का तरीक़ा अच्छा नहीं है तो वह न अल्लाह तआला के नज़दीक अच्छा है, न अल्लाह के बन्दों में पसन्दीदा।

फिर क्यों न हम बुराइयों से बचें और अपने अन्दर अच्छी आदतें पैदा करें ताकि हमें दुनिया में भी भलाई हासिल हो और अल्लाह पाक की ख़ुशी हासिल करने के हक़दार भी बनें।

आइए, कुछ अच्छी आदतों के बारे में बातें कर लें—

- सबसे पहले किसी के घर जाने का तरीक़ा मालूम कीजिए,
- फिर खाना खाने के आदाब सीखिए,
- इसके बाद आपस में मेल-जोल से रहने की ज़रूरत समझिए,
- और फिर अपने मां-बाप का दर्जा पहचानिए।

क्या मैं अन्दर आ सकता हूं?

आइए, आइए, ज़रूर तशरीफ़ लाइए। आप ही का घर है। अपने घर में भला कोई इजाज़त लेकर आता है, यह कैसी ग़ैरों की-सी बातें कर रहे हैं सईद मियां।

हामिद ने सईद मियां का इस्तिक़बाल (स्वागत) करते हुए कहा—

सईद अस्सलामु अलैकुम कहते हुए अन्दर दाख़िल हुए। हामिद ने मुस्करा कर एक तरफ़ बैठने का इशारा किया।

सईद मियां एक तरफ़ बैठ गए और कहने लगे, भाई! हामिद मियां! आज आपने यह भी ख़ूब कही कि इजाज़त लेकर आना ग़ैरो की-सी बातें करना है। अरे भाई! इजाज़त लेकर घर में आना तो इस्लामी और अख़्लाक़ी तरीक़ा है। बग़ैर इजाज़त के किसी के घर में चले जाना तो बड़ी बे-अदबी की बात है। क्या आपको याद नहीं अभी पिछले हफ़्ते इजाज़त के बारे में क्लास में एक सबक़ पढ़ा था।

हामिद— अरे हां भाई! ज़रा कुछ बताइए तो हमें तो कुछ ख़्याल ही नहीं रहा।

सईद— जी हां, पहली बात तो यह कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया,'ऐ ईमान वालो! तुम ख़ास अपने घरों के अलावा किसी के घर में उस वक़्त तक दाख़िल न हो, जब तक कि इजाज़त न ले लो और फिर घर में रहने वालों को सलाम करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है और यह बात तुम्हें इसलिए बताई गई है ताकि तुम नसीहत हासिल करो, फिर यह कि अगर उन घरों में, जिनमें तुम जाना चाहते हो, कोई मौजूद न हो, तो तुम दाख़िल मत हो।' (सूरः नूर, 20-28)

प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यही मामूल था, आप जब किसी के यहां तशरीफ़ ले जाते तो दरवाज़े के दाएं या बाएं खड़े होकर अस्सलामु अलैकुम कहते, अगर घर के अन्दर से सलाम का जवाब आता तो अन्दर दाख़िल होते, वरना वापस आ जाते।

एक बार हुज़ूर सल्ल० के पास किसी ने दूध, हिरन का बच्चा और लकड़ियां भेजीं। यह सामान लाने वाला आदमी बग़ैर इजाज़त लिए और सलाम किए अन्दर आ गया। हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया, वापस जाओ और कहो अस्सलामु अलैकुम! क्या मैं अन्दर आ सकता हूं? (मिश्कात, पृ०-401)

एक आदमी ने हुज़ूर सल्ल० से सवाल किया, क्या मैं अपनी मां के घर में जाने के लिए भी इजाज़त लूं? आप ने फ़रमाया, हां। उस आदमी ने कहा, मैं तो मां के साथ उसी घर में रहता हूं, उनकी ख़िदमत करता हूं, क्या मुझे भी इजाज़त लेने की ज़रूरत है? हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया, तुम उनसे भी इजाज़त हासिल करो। क्या तुम यह पसन्द करते हो कि तुम अपनी मां को नंगा देखो। सवाल करने वाले ने कहा, नहीं। हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया, तो तुम्हें ज़रूर इजाज़त लेनी चाहिए।

हुज़ूर सल्ल० के इस इर्शाद का मतलब यह था कि मालूम नहीं अपने घर में कोई ग़ुस्ल में लगा हुआ है या कपड़े बदल रहा है या किस हाल में बैठा है, इसलिए अचानक दाख़िल हो जाना किसी तरह भी मुनासिब नहीं। हर घर में इजाज़त लेकर जाना चाहिए।

कहिए हामिद साहब! अब तो आपकी समझ में आ गया होगा कि इजाज़त लेना क्यों ज़रूरी है?

हामिद— हां, भाई सईद साहब! ख़ूब समझ में आ गया। आपने तो बड़े काम की बातें बता दीं।

सईद— अच्छा तो अब इजाज़त दीजिए, चलते हैं, अस्सलामु अलैकुम।

हामिद— वअलैकुम अस्सलामु व रहमतुल्लाहि।

सवालात

1. क़ुरआन मजीद में घर में दाख़िल होने के क्या आदाब बताए गए हैं?

2. हुज़ूर सल्ल० का किसी के घर जाने और इजाज़त लेने का क्या तरीक़ा था?

3. हुज़ूर सल्ल० ने अपनी वालिदा के घर में भी जाने के लिए इजाज़त लेने का क्यों हुक्म फ़रमाया?

ख़िदमत से अज़मत है

बहुत से लोग मामूली काम करते हुए शर्म महसूस करत हैं जैसे बाज़ार से सौदा लाना, जूती मरम्मत करना या अपने से छोटी उम्र के लोगों की ख़िदमत करना, मगर सच्ची बात यह है कि इस तरह के कामों से कोई इ़ज़्ज़त नहीं घटती, क्योंकि इ़ज़्ज़त-ज़िल्लत देने वाला तो अल्लाह है।

एक बार हुज़ूर सल्ल० के दोस्त हज़रत अनस रज़ि० आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुए तो देखा आप ख़ुद अपने हाथ से ऊंट के बदन पर तेल मल रहे हैं।

एक सफ़र में सहाबा किराम रज़ि० ने बकरी ज़िब्ह की और उसको पकाने के लिए आपस में कामों को बांट लिया। हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया, मैं जंगल से लकड़ियां लाऊंगा, आपकी जूती का तस्मा टूट जाता तो आप ख़ुद ही दुरुस्त कर लेते। एक बार सहाबा ने देखा, हुज़ूर सल्ल० अपने मकान की मरम्मत कर रहे हैं, तो वह भी आपके साथ शरीक हो गए, काम ख़त्म होने पर हुज़ूर सल्ल० ने उनके लिए दुआ फ़रमाई।

खाना हाज़िर है

आइए, आइए, खाना खाइए, सेहत बनाइए, अगर आप खाना नहीं खाएंगे, तन्दुरुस्ती गिर जाएगी, बदन में ताक़त नहीं रहेगी।

बदन की हिफ़ाज़त, तन्दुरुस्ती और सेहत का ख़्याल रखना आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि यह बदन आपका नहीं, आपके पास अल्लाह की अमानत है और अमानत जिसकी हो, उसके कहने के मुताबिक़ उसकी हिफ़ाज़त न की जाए तो अच्छी बात नहीं।

इसलिए जिस्म को पाक-साफ़ रखना और नेक कमाई का खाना देना ज़रूरी है। अगर जिस्म बीमार हो जाए तो दवा देना अच्छी तरह देख-भाल करना भी ज़रूरी है।

रहा खाना-पीना, तो आप जिस तरह खाएंगे, पेट तो भर ही जाएगा, लेकिन उसी खाने को अल्लाह और उसके रसूल के कहने के मुताबिक़ खाया जाए तो हर-हर लुक़्मे पर सवाब और नेकी भी लिखी जाएगी।

हां, इस्लामी उसूल के ख़िलाफ़ खाना खाया जाए, तो पेट तो भर जाएगा, लेकिन किसी सवाब की उम्मीद नहीं, बल्कि गुनाह हो

सकता है।

फिर क्यों न ऐसा तरीक़ा अख़्तियार किया जाए जिससे पेट भी भरे और सवाब भी मिले।

अल्लाह तआला ने फ़रमाया, 'ऐ ईमान वालो! तुम वह पाक सुथरी चीज़ें खाओ, जो हमने तुम्हें दी हैं और उन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि तुम उसी के बन्दे हो।'

पाक और सुथरी का मतलब यह है कि हराम जानवरों का गोश्त, शराब वग़ैरह या नाजायज़ तरीक़े से कमाए हुए पैसे का खाना न हो, क्योंकि यह पाक नहीं।

फिर जो कुछ खाओ, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, न जाने कितने लोग हैं जिन्हें पेट भरकर खाना नसीब नहीं होता। ख़ुदा का लाख-लाख एहसान है कि उसने पेट भरकर खाना खिलाया, खाते वक़्त खाने के शरई आदाब का ख़्याल रखो, ताकि हर-हर लुक़्मे पर सवाब मिले।

खाने के आदाब

● सबसे पहले खाने के लिए दस्तरख़्वान बिछाया जाए और हाथ धो लिए जाएं,

● फिर जब खाना सामने आ जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने सामने से खाना शुरू करना चाहिए।

हुज़ूर सल्ल० की पाक बीवी हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं, हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया, जब तुम में से कोई खाना खाए तो उसे चाहिए कि अल्लाह का नाम ले, अगर शुरू में भूल जाए तो आख़िर में कह ले या जब याद आए बिस्मिल्लाह कह ले।

● खाना जैसा भी हो अच्छा लगे तो जितना जी चाहे खा लो, वरना ख़ामोशी से छोड़ दो, चाहे अपने घर हो या किसी मेहमान के घर। खाने में ऐब निकालना बुरा है।

हुज़ूर सल्ल० के प्यारे दोस्त हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० फ़रमाते हैं, हुज़ूर सल्ल० ने कभी खाने की बुराई नहीं की, अगर आपको अच्छा लगता खा लेते, वरना छोड़ देते।

● जहां तक मुम्किन हो, मिल-जुलकर खाना चाहिए। हुज़ूर सल्ल० के एक सहाबी हज़रत वह्शी बिन हर्ब फ़रमाते हैं, एक बार सहाबा किराम ने हुज़ूर सल्ल० की ख़िदमत में अर्ज़ किया, हम खाना खाते हैं, मगर पेट नहीं भरता, शायद तुम लोग अलग-अलग खाते हो? सहाबा रज़ि० ने अर्ज़ किया, हां, आप ने फ़रमाया, तुम खाने पर इकट्ठे हो जाया करो और अल्लाह का नाम लेकर खाओ, अल्लाह उसमें बरकत अता फ़रमाएगा।

● खाना ख़ूब चबाकर धीरे-धीरे खाना चाहिए, आवाज़ न पैदा हो। खाने में बातें करना अच्छा नहीं। हुज़ूर सल्ल० बड़ी तवज्जोह से खाना खाते थे।

● खाना ख़त्म करने लगो तो बरतन को अच्छी तरह साफ़ कर लो। उंगलियां चाटकर साफ़ कर लेना सवाब है।

● दस्तरख़्वान पर जो ज़र्रे गिरे हों, उन्हें भी उठाकर खा लेना चाहिए। मालूम नहीं किस ज़र्रे में बरकत हो और उससे महरूम रह जाए।

● खाने के बाद इन लफ़्ज़ों में शुक्र अदा करना सुन्नत है—

'अलहम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अत-अ-म-ना व सक़ाना व ज-अ-ल-ना मिनल मुस्लिमीन०'

(तमाम तारीफ़ें उस पाक ज़ात के लिए हैं जिसने हमें खाना खिलाया, पानी पिलाया और हमें मुसलमान बनाया।)

- पानी पियो तो तीन सांस में पियो। एक बार में पीना सुन्नत के ख़िलाफ़ है और उसके गले में फंदा भी लग सकता है।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० फ़रमाते हैं, हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया, एक बार में पानी मत पियो जिस तरह बैल पीता है बल्कि दो या तीन बार करके पियो।

- बैठकर पानी पीना सुन्नत है।
- कोई चीज़ खाते-पीते वक़्त सिर ढंक लेना भी सुन्नत है।

हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे

जब दुनिया में रहना है, तो हंस-बोल के रहो, रो-रो के जिए तो क्या जिए।

तंहाई की ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है। ज़रा क़ुदरत की मख़्लूक़ पर नज़र डालो, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। जिस तंज़ीम (व्यवस्था) और लगे-बंधे क़ायदों, उसूलों में सब जानवर, परिंदे, चरिंदे मिल-मिलकर ज़िंदगी गुज़ारते हैं, फिर कोई इंसान आख़िर क्यों अलग-अलग रह सकता है? हर एक की दूसरे से ज़रूरत पूरी होती है, जब तक आपस का मेल-जोल न हो, जीना मुश्किल हो जाए, इसीलिए तो हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया है, तुम सब अल्लाह के बन्दे आपस में भाई-भाई हो जाओ।

अल्लाह के प्यारे रसूल सल्ल० ने फ़रमाया, तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने थे।

फिर भला बताओ, जब सब एक आदम की औलाद हैं तो सब आपस में भाई-भाई हुए अब जुदाई कैसी? यह तो थी सब इंसानो के मेल-जोल की बात। अब ज़रा मुसलमानों के मेल-जोल की सुनो।

अल्लाह पाक का इर्शाद है, 'मुसलमान तो सब आपस में भाई-भाई हैं, सो (अगर किसी में नाराज़गी पैदा हो जाए) तो दो भाइयों के दर्मियान सुलह करा दिया करो।'

हमारे नबी सल्ल० के एक दोस्त हज़रत अबू मूसा रज़ि० का बयान है, हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया, 'मुसलमान आपस में ऐसे हैं, जैसे ईंटों की दीवार एक दूसरे से जकड़ी होती है।' फिर हुज़ूर सल्ल० ने अपनी उंगलियों को एक दूसरी में डालकर दिखाया।

दूसरी जगह हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया, 'मुसलमान आपस में ऐसे हैं जैसे एक जिस्म कि जब जिस्म में आंख में तक्लीफ़ होती है तो पूरा बदन उससे दुखी हो जाता है और अगर सर में तक्लीफ़ होती है तो पूरा बदन उसको महसूस करता है।'

एक जगह आपस में मेल-जोल न होने का नुक़्सान बताते हुए अल्लाह पाक ने फ़रमाया—

'ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह और उसके रसूल की फ़रमांबरदारी करो और लड़ो-झगड़ो नहीं। (अगर तुम लड़े-झगड़े) तो तुम कमज़ोर हो जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी।' ज़ाहिर है बिखरी हुई जमाअत का कोई वज़न बाक़ी नहीं रहता। दुश्मन बहुत जल्दी उस पर क़ाबू पा लेता है।

मुसलमानों के मेल-जोल की एक मिसाल

जब हमारे सरकार हज़रत मुहम्मद सल्ल० मदीना में तशरीफ़

लाए तो वहां उनके लिए बिल्कुल नई जगह थी, न घर बार, न सामान, सब अनजानी शक्लें, फिर यह भी नहीं कि उस शहर में सिर्फ़ मुसलमान हों, ग़ैर-मुस्लिम यहूदी भी आबाद थे।

हुज़ूर सल्ल० के साथियों के लिए यह बड़ी मुश्किल थी कि कहां रहें, कहां बसें।

हुज़ूर सल्ल० ने इस मुश्किल को हल करने के लिए पहले तो मदीना में रहने वाले मुसलमानों (अंसार) और मक्का से आने वाले मुसलमानों (मुहाजिरीन) के दर्मियान भाई चारा कराया, और इस तरह कराया कि एक अंसारी को एक मुहाजिर का भाई बना दिया।

बस फिर क्या था, सब अंसार ने अपने मुहाजिर भाइयों को ख़ुशी-ख़ुशी अपने घरों में जगह दी और भाई चारा का इतना हक़ अदा किया कि अपने पूरे सामान, घर, जायदाद और खेत का आधा-आधा हिस्सा करके अपने मुहाजिर भाइयों को दे दिया।

इस मेल का नतीजा यह हुआ कि सबको बराबर फलने-फूलने का मौक़ा मिला और दोनों में दिन-ब-दिन मुहब्बत बढ़ती गई। इसके बाद मदीना के यहूदियों से बात-चीत करके एक समझौता किया, जिसमें बड़ी शर्तें ये थीं—

- मुसलमान और यहूदी एक क़ौम होंगे।
- दोनों जमाअतें अपने-अपने दीन पर रहेंगी और अपने तरीक़े के मुताबिक़ इबादत करेंगी।
- बाहर से आने वाले दुश्मन का मुक़ाबला दोनों मिलकर करेंगे।
- मदीना शहर दोनों के लिए इज़्ज़त की जगह होगा, उसमें ख़ून नहीं बहाया जाएगा।

अगरचे आगे चल कर यहूदी इस समझौते पर क़ायम नहीं रहे, मगर हुज़ूर ने अपनी तरफ़ से मेल-मिलाप की शुरूआत की और उसको निभाने की पूरी कोशिश की।

सवालात

1. मेल-जोल से रहना क्यों ज़रूरी है?

2. अल्लाह तआला ने आपस में मेल-जोल रखने के बारे में क्या फ़रमाया है?

3. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मेल-जोल के बारे में क्या फ़रमाया है?

4. हुज़ूर सल्ल० ने मदीना में किन लोगों के दर्मियान भाई-चारा कराया?

अमली काम

इस पाठ में आपने अल्लाह के फ़रमान और हुज़ूर सल्ल० के इर्शादात पढ़े हैं, इन दोनों को अलग-अलग अपनी कापी में लिखिए और जुबानी याद कीजिए।

हमारे मां-बाप

आ हा! कितने ख़ुश क़िस्मत हैं वे बच्चे और बच्चियां जो अपने मां-बाप की गोदों में पले, फूले-फले, परवान चढ़े, पढ़े-लिखे इंसान बने।

मगर ज़रा वक़्त भी याद करो, जब रातों को मां ने अपनी नींद हराम की तुम्हारी नन्ही-मुन्नी सी जान की ख़ातिर, अपना चैन-आराम खोया तुम्हारे लिए, ख़ुद दुख लिया, तुम्हें सुख दिया, ख़ुद जागी, तुम्हें सुलाया, बाप ने ख़ून पसीना एक करके कमाया और तुम्हारी ज़रूरत पूरी की।

फिर जब तुमने मुस्कराना शुरू किया, मां-बाप का दिल बाग़-बाग़ हुआ, मां की दुआओं और बाप की आरज़ूओं से ख़ुदा ने वह दिन भी दिखाया कि तुम उनके बुढ़ापे का सहारा बनने और उनकी ख़िदमत करने की क़ाबिल हुए।

लो, अब वह वक़्त आ गया कि तुम अपने मां-बाप की ख़िदमत करो, उनकी दुआएं लो, उन्हें हर मुम्किन आराम पहुंचाओ, उनकी आरज़ूओं के बाग़ को सजाओ, उनकी आंखों की ठंडक बनो, उनके दिलों के लिए राहत के सामान पैदा करो।

आख़िर क्यों नहीं, यह तुम्हारा फ़र्ज़ है।

लो, देखो, अल्लाह मियां क्या फ़रमाता है–

'और तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है कि उसके सिवा और किसी की इबादत न करो और तुम अपने मां-बाप के साथ अच्छे बर्ताव से पेश आओ। अगर तुम्हारे सामने इनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे

को पहुंच जाएं तो उनको कभी उफ़ तक भी न कहो और न उन्हें झिड़को और उनसे ख़ूब अदब से बात किया करो, उनके सामने नर्मी और इंकिसारी के साथ झुके रहो और यह दुआ करते रहो, ऐ मेरे पालनहार! इन दोनों पर रहम फ़रमा जैसा कि इन्होंने बचपन में पाला-परवरिश किया।' (सूरः बनी इसराईल, 24)

एक बार का ज़िक्र है हज़रत मुहम्मद सल्ल० की ख़िदमत में एक आदमी आया और सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०! मैं हज को जाना चाहता हूं। हुज़ूर सल्ल० ने मालूम किया, क्या तुम्हारी मां ज़िंदा है?

उसने कहा, जी हां, ज़िंदा हैं।

हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया, जाओ पहले मां की ख़िदमत करो।

आप ने देखा कि एक वक़्त ऐसा आया जब हुज़ूर सल्ल० ने हज के मुक़ाबले में मां की ख़िदमत को ज़रूरी समझा। यह है मां का दर्जा।

सच्ची बात यह है कि मां-बाप की ख़िदमत में अल्लाह और रसूल सल्ल० की ख़ुशनूदी भी है और मां-बाप की दुआएं भी, फिर क्यों न हम इन दोनों की ख़ुशियों से अपना दामन भर लें।

सवालात

1. मां-बाप ने हमारे लिए क्या तक्लीफ़ें बरदाश्त की हैं?
2. हमें मां-बाप के लिए क्या करना चाहिए?
3. मां-बाप की ख़िदमत के लिए अल्लाह तआला का क्या हुक्म है?
4. हुज़ूर सल्ल० ने हज के लिए सवाल करने वाले को क्या जवाब दिया?

ख़ुदा का फ़रमान

सबके साथ अच्छा सुलूक करो

अल्लाह ही की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ और मां-बाप, क़राबत दारों, यतीमों, मुहताजों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और ग़ैर-पड़ोसियों और पास बैठने वालों और मुसाफ़िरों और लौंडी-ग़ुलाम (नौकर-चाकर) जो तुम्हारे पास हैं, उन सबके साथ अच्छा सुलूक करते रहो।

अल्लाह तआला उन लोगों को पसन्द नहीं करता जो इतराएं और बड़ाई मारते फिरें। —सूरः निसा, 36

मोमिन बद-तहज़ीब नहीं होता

और (देखो) आपस में एक दूसरे को ताने न दो और न एक दूसरे का नाम बिगाड़ो, ईमान लाने के बाद बद-तहज़ीबी का तो नाम ही बुरा है और जो इस हरकत से बाज़ न आएंगे, वही ख़ुदा के नज़दीक ज़ालिम हैं। —सूरः हुजुरात, 11

अच्छे कामों में दूसरों की मदद करो

नेकी और परहेज़गारी की बात में एक दूसरे की मदद करो, गुनाह और ज़ुल्म के काम में किसी के मददगार न बनो।

—सूरः माइदा, 2

इतराना और घमंड करना अल्लाह को पसन्द नहीं

लोगों के सामने अपने गाल मत फुलाते फिरो और न ज़मीन पर इतराते हुए चलो, अल्लाह तआला घमंड करने वाले और इतराने वाले को पसन्द नहीं करता। —सूरः लुक़मान, 18

बुराई का बदला भलाई से देना चाहिए

(और देखो) भलाई और बुराई बराबर नहीं होती, तुम बुराई का बदला भलाई से दो (इसका नतीजा यह होगा) कि जिससे आप की दुश्मनी है, वह आपका दिली दोस्त बन जाएगा।

—सूरः हा-मीम सज्दा, 34

प्यारे नबी सल्ल० की प्यारी बातें

जिसमें नर्मी नहीं, उसमें कोई भलाई नहीं

हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ि० फ़रमाते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना, आप ने फ़रमाया, जो आदमी नर्मी से महरूम हो गया, वह तमाम भलाइयों से महरूम हो गया।

इस्लाम का बेहतरीन काम

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० फ़रमाते हैं, एक आदमी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०! इस्लाम का सबसे बेहतरीन काम क्या है?

आप सल्ल० ने फ़रमाया, खाना खिलाओ और हर आदमी को सलाम करो, चाहे तुम उसे जानते हो या न जानते हो।

अल्लाह के रहम से कौन महरूम होगा?

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि० फ़रमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह उस आदमी पर रहम नहीं करेगा जो अल्लाह के बन्दों पर रहम नहीं करता।

मुसलमानों के मेल-जोल की मिसाल

हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ि० फ़रमाते हैं, हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया, तमाम मुसलमानों की मिसाल एक आदमी के जिस्म की-सी है। अगर उसकी आंख को तक्लीफ़ होती है तो तमाम जिस्म को तक्लीफ़ होती है। अगर उसके सर को तक्लीफ़ होती है तो सारे बदन को तक्लीफ़ होती है।

जो अपने लिए पसन्द करो, वही अपने भाई के लिए भी पसन्द करो

हज़रत अनस रज़ि० फ़रमाते हैं, हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया, क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, कोई बन्दा उस वक़्त तक मोमिन (पक्का मुसलमान) नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही चीज़ न पसन्द करे जो अपने लिए करता है।

सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा पड़ोसी

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ि० कहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह तआला के नज़दीक सबसे अच्छे दोस्त वे हैं, जो अपने दोस्तों से अच्छी तरह पेश आएं और अल्लाह तआला के नज़दीक सबसे अच्छे पड़ोसी वे हैं, जो अपने पड़ोसियों से अच्छी तरह मिलें।

ईमानदार नहीं होता

हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि० कहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, लानत करने वाला और बेहूदा बातें करने वाला ईमानदार नहीं होता।

निजात पाने वाला

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० कहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, जो आदमी बुरी बातों से ख़ामोश रहा, उसने निजात पाई।

ISBN 81-7101-443-7

ISBN 81-7101-480-1

ISBN 81-7101-482-8

ISBN 81-7101-452-6

ISBN 81-7101-423-2

ISBN 81-7101-444-5

ISBN 81-7101-506-9

ISBN 81-7101-481-X

ISBN 81-7101-528-X